

पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़



उपरवारा, अटल नगर (छ.ग.)
(पूर्व नाम- छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय)
(छ.ग. अधिनियम क्र. 21/2008 द्वारा स्थापित)

दूरभाष/फैक्स: 07712263234
ई-मेल: healthuniversitycg@yahoo.com

क्रमांक/1016/D.U.H.S./गोप./2019


रायपुर, दिनांक 26/6/2019

//अधिसूचना//

अनुचित साधन समिति की बैठक दिनांक 14.06.2019 के निर्णयानुसार – निम्नलिखित अनुचित साधन प्रकरण रेगुलेशन 10 के कंडिका 2 की श्रेणी में दंड योग्य है। इन्हें “Not allowed to appear for the entire examination of that year (Cancellation of examination).” से दंडित किया जाता है।

अनुक्रमांक	परीक्षा का नाम	छात्र/छात्रा का नाम	महाविद्यालय का नाम	परीक्षा केन्द्र का नाम
16010584	एम.बी.बी.एस. द्वितीय परीक्षा मार्च-2019	सुनील शर्मा	स्व.श्री बलीराम कश्यप मेडिकल कालेज, जगदलपुर	

आदेशानुसार



कुलसचिव

पृ. क्रमांक/1017/D.U.H.S./गोप./2019

रायपुर, दिनांक 26/6/2019

प्रतिलिपि :

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन रायपुर (छ.ग.) ।
2. कुलपति महोदय के निज सहायक पं.दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. कुलसचिव, छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय को सूचनार्थ ।
4. प्राचार्य संबंधित महाविद्यालय का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. संबंधित छात्रों द्वारा प्राचार्य, स्व.श्री बलीराम कश्यप मेडिकल कालेज, जगदलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. परीक्षा विभाग/आई.टी.शाखा पं.दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
7. उक्त परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाईट [Website: www.cghealthuniv.com](http://www.cghealthuniv.com) से भी प्राप्त किया जा सकता है ।


कुलसचिव
